सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :– 62/2018 पुनः दर्ज 144/2019 (2019/00333)

1. कृष्ण पुत्र बाबू नाबालिग लरिये माता सत्यवती जाति मीणा निवासी हाल केशव विद्यापीठ के पास, मालियों की ढाणी, आगरा रोड, जामडोली सुमेल, जयपुर राज0।

–:वादी:–

बनाम

1. बाबू पुत्र स्व0 श्रीनारायण जाति मीणा निवासी चान्दजी की ढाणी फाल्यावास, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. कमल पुत्र स्व0 श्रीनारायण
3. उमराव पुत्र स्व0 श्रीनारायण
4. भगवान सहाय पुत्र स्व0 श्रीनारायण
5. विनोद पुत्र श्रीनारायण
6. ग्यारसी देवी पत्नी स्व0 घासीराम समस्त जाति मीणा निवासी चान्दजी की ढाणी फाल्यावास, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–:प्रतिवादीगण:–

7. उपपंजियक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।

–:तरतीबी प्रतिवादीगण:–

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री सुधीर शर्मा, एड0 वादी
श्री योगेश शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 5

पर्चा डिक्री — दिनांक 23/10/2024

दावा वादी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खसरा संख्या खसरा नम्बर 330/1 रकबा 4 बीघा, 330/3 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा, 330/4 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बिघा 2 बिस्वा ग्राम सिन्दोली पटवार हल्का सिन्दोली तहसील बस्सी जिला जयपुर का वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि सिद्ध नहीं होने से वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 23/10/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बस्सी, जयपुर ग्रामीण (रा0)

(ओम प्रकाश मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर ग्रामीण